7645570142

(32)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

08 APR 2019

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 4544 दिनांक-29.03.19

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलॉंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बैंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रेदश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पॉडीचेंरी	पॉडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

PM-OG-D

O/o Prl. Accountant General (A&E)
Telangana, Hyderabad

544561

544561

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19 दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक़.) कार्यालय

विषय- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियो के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत दिनांक:1 जुलाई 2018 से 07% से बढाकर 9% तथा 1 जनवरी 2019 से 9% से बढाकर 12% की स्वीकृति |

संदर्भ :- (1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-249/XXVII(7)02/2016 दिनांक:19/09/2018

(2) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-81(1) XXVII(7)02/2016 दिनांक:07/03/2019

(3) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-79(1) XXVII(7)02/2016 दिनांक:07/03/2019

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं | आपसे अनुरोध है कि, उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं|

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

29.03.2019

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या– — / XXVII(7)02/16
देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–147 /XXVII(7)02/2016 दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा स्वीकृत दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 07 प्रतिशत के स्थान पर 09 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 /दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- — /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 19 September, 2018

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2018 @ 7% instead 9% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 147/XXVII(7)02/2016 Dated 09 May, 2018 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Amit Singh Negi)
Secretary

DR-160 dt-27.03.19

(32)

संख्या- २५१/XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 150 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

No २५१/XXVII(7)02/2016, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
2- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
4. All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
5. Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
7. Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 150 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.
10. Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Amit Singh Negi)
Secretary